कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(फोन– 0771–2263412 फैक्स– 0771–2263413)

e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

क्रमांक 21/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.02.2021

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ़।

2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालय
   छत्तीसगढ।

विषयः– **समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में भौतिक रूप से क्लास रूम शिक्षण प्रारंभ करने के संबंध में।**

संदर्भः– **छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–19/2020/38–1, दिनांक 13.02.2021**

––00––

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न है। छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र से राज्य के अधीन संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिनांक 15.02.2021 से भौतिक रूप से क्लास रूम शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। भौतिक रूप से क्लास रूम शिक्षण के साथ ही ऑनलाईन शिक्षण कार्य भी पूर्ववत् जारी रहेगा तथा छात्र–छात्राएं ऑनलाईन कक्षाएं अटेन्ड कर सकेंगे, उन्हें कैम्पस उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी।

2/ उपरोक्तानुसार शासन निर्देश के अनुरूप समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 15.02.2021 से भौतिक रूप से क्लास रूम शिक्षण प्रारंभ करना सुनिश्चित करते हुए समस्त शासकीय महाविद्यालय, क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से तथा समस्त अशासकीय महाविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से पालन प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष कार्यालय को उपलब्ध करावें। राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन प्रतिवेदन सीधे विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे।

3/ भौतिक रूप से संचालित क्लास रूम शिक्षण अटेन्ड करने के लिए विद्यार्थी बाध्य नहीं होंगे। इस हेतु सभी प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों द्वारा महाविद्यालय में ली जाने वाली समस्त ऑफलाईन क्लासेस की लिंक समस्त विद्यार्थियों को भेजी जायेंगी। ऑफलाईन क्लासेस हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थी उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाईन कक्षाओं से जुड़ सकेंगे।

4/ जिन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों की ऑफलाईन कक्षाएं लेने हेतु नियमित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पदस्थ नहीं हैं उन विषयों की संभाग स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत् जारी रहेंगी। संबंधित प्राचार्य महाविद्यालय के अधिकाधिक विद्यार्थियों को उक्त ऑनलाईन कक्षाओं से जुड़ने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5/ विभिन्न विषयों के प्रायोगिक कार्य हेतु एस.ओ.पी. का पालन करते हुए महाविद्यालय में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

15/2

.....2......

6/ महाविद्यालयों में ऑफलाईन क्लास रूम शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी एस.ओ.पी. का पालन किया जाये तथा किसी भी स्थिति में सर्दी, जुकाम तथा बुखार के प्रारंभिक लक्षण वाले विद्यार्थी/स्टाफ की जानकारी मिलने पर महाविद्यालय/कक्षा में बैठने नहीं दिया जाये तथा तत्काल कोरानो की जांच कराने की सलाह दी जाये।

15/2
(शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 22/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.02.2021

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
4. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
6. समस्त कुल सचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर
8. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
12. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/2
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)